

No.I.27011/2/2016-Coord.  
Government of India  
Ministry of Corporate Affairs

New Delhi-110001  
Dated: 09 September, 2016

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2016 is enclosed for information.

  
(Kshitish Kumar)

Under Secretary to the Government of India,  
Tel.No.2338 4502

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

- 1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
- 2 Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
- 4 Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
- 5 Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
- 6 Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
- 7 Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
- 8 Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
- 9 Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
- 10 Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
- 11 Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
- 12 Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
- 13 Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
- 14 Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

- (i) Economic Advisor, MCA
- (ii) PSO to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
- (iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

**Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of August, 2016"**

## Ministry of Corporate Affairs

### **Important policy decisions taken and major achievements during the month of August, 2016**

#### **(I) Circulars: -**

In view of the references received from stakeholders seeking clarification on the applicability of provisions of Chapter III of the Companies Act, 2013 (Act) and Rule 18 of Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014 to the issue of Rupee bonds by the Indian companies exclusively to persons resident outside India, the Ministry, in consultation with Reserve Bank of India has clarified that unless otherwise provided in the circular/directions/regulations issued by the RBI, provisions of Chapter III of the Act and rule 18 of Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014 would not apply in the instant case.

#### **(II) Notifications:-**

(i) Subsequent to the aforesaid circular, this Ministry has, vide notification dated 12.08.2016, amended the Rule 18 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, to the effect that "Nothing contained in this Rule shall apply to Rupee denominated bonds issued exclusively to overseas investors in terms of A.P. (DIR Series) Circular No. 17 dated September 29, 2015 of the Reserve Bank of India." (G.S.R. 791(E), dated 12.08.2016).

The Parliamentary Standing Committee on Finance, which is examining the Companies (Amendment) Bill, 2016 sought comments of this Ministry on various points relating to the Amendment Bill. The comments on such points were forwarded to the Committee on 23<sup>rd</sup> August, 2016.

सं. आई-27011/2/2016-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

तारीख: सितंबर, 2016

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अगस्त, 2016 के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार का अवर सचिव

दूरभाष: 2338 4502

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित: (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषित: निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अगस्त, 2016 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति-निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

### (I) परिपत्र:-

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय III के प्रावधानों और केवल भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भारतीय कंपनियों द्वारा रूपया बांड जारी करने के लिए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण मांगने के बारे में पक्षकारों से प्राप्त संदर्भों को देखते हुए इस मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से स्पष्ट किया है कि जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र/निदेशों/नियमनों में अन्यथा प्रावधान न हो, अधिनियम के अध्याय III के प्रावधान और कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 18 तात्कालिक मामले में लागू नहीं होंगे।

### (II) अधिसूचनाएं:-

(i) उपर्युक्त परिपत्र के बाद इस मंत्रालय ने दिनांक 12.08.2016 की अधिसूचना के माध्यम से लिए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 18 इस आशय के साथ संशोधित किया है कि "इस नियम में निहित कोई भी बात ए.पी.(डीआईआर सीरिज) के संदर्भ में केवल विदेशों में रहने वाले निवेशकों को जारी रूपया मूल्यवर्ग बांड के लिए लागू नहीं होगी, भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 29 सितंबर, 2015 का परिपत्र सं. 17" (सा.का.नि.791(अ), दिनांक 12.08.2016)।

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति जो कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की जांच कर रही है, ने संशोधन विधेयक से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर इस मंत्रालय की टिप्पणियां मांगी हैं। इन बिन्दुओं पर टिप्पणियां 23 अगस्त, 2016 को समिति को भेजी गई थीं।